

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

10-10-375/2025

1 भागरिह पुत्र दलीपसिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा हाल आबाद साबुआना तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम्

वादी

- 1 श्रीरू माता हजारों कौर उर्फ हजारों पुत्र नानकराम जाति बावरी निवासी चक 7 सीडीआर
कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 मुख्त्यारों पत्नी बलवीर सिंह पुत्री हजारों कौर उर्फ हजारों जाति बावरी निवासी
मल्लडखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 बचनकौर पत्नी जगतार सिंह पुत्री हजारों कौर उर्फ हजारों जाति बावरी निवासी वार्ड नं0
रानियां तहसील रानियां जिला सिरसा।
- 4 मीरा देवी पत्नी साधुसिंह पुत्री हजारों कौर उर्फ हजारों जाति बावरी निवासी मोहनपुरा
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 16/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी वकील सुखवीरसिंह अतिम
निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर
घोषणा की जाती है:- चक नं0 4 केएचआर जमाबन्दी खाता सं0 42/37 में वर्णित कुल
6.8310 है० मय गै०मु० कृषि भूमि में हजारों कौर के नाम से दर्ज 1/9 हिस्सा की कृषि
भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं0 4 केएचआर जमाबन्दी
खाता सं0 42/37 में हजारों कौर का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते
है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन
है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबन्दी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि
किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।